



थाना तरवां/निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: दो पुलिस मुठभेड़ों में 05 अन्तर्राज्यीय अपराधी घायल/
गिरफ्तार, 03 घायल व 02 गिरफ्तार

खरिहानी एवं फरिहा स्थित ज्वेलरी दुकानों में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा, लगभग 9.3
किलोग्राम चांदी के आभूषण (कीमत लगभग 24 लाख रुपये) बरामद।

अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलहे, कारतूस, नकदी, बिना नंबर प्लेट की अर्टिंगा गाड़ी एवं चोरी
में प्रयुक्त उपकरण बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी, नकबजनी, गृहभेदन, मादक पदार्थ, आयुध एवं गिरोहबंद
गतिविधियों सहित अन्य अपराधों में आजमगढ़, मिर्जापुर, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में दर्जनों
मुकदमे दर्ज हैं।

चोरी की घटनाओं के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान में
सफलता।

1. घटना का विवरण

दिनांक 24/25.09.2026 की रात्रि में थाना निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत फरिहा चौक स्थित ओम ज्वेलर्स का शटर तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण एवं ₹60,000/- नकद चोरी कर लिए गए थे। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 240/2026 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी प्रकार दिनांक 09.10.2026 को थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत खरिहानी बाजार स्थित वैभव ज्वेलर्स का ताला तोड़कर चांदी एवं सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए थे। इस संबंध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 205/2026 धारा 304, 331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। दोनों घटनाओं के अनावरण हेतु पुलिस टीमों प्रयासरत थीं।

2. गिरफ्तारी एवं पुलिस मुठभेड़ का विवरण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 16.10.2026 को वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।

थाना तरवां क्षेत्र में मुठभेड़: दिनांक 16.10.2026 को थाना प्रभारी तरवां राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा प्रातः लगभग 03:10 बजे थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत कम्हरिया-कुर्थियां के पास पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रामसागर बांसफोर घायल हो गया तथा निन्ही को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

थाना निजामाबाद क्षेत्र में मुठभेड़: इसके बाद संदिग्ध सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली अर्टिगा गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस टीम बड़ागांव नहर पुलिया के पास पहुंची, जहां गाड़ी झाड़ियों में फंस गई। पुलिस के अनुसार, गाड़ी से उतरे बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में सुनील एवं रमाशंकर घायल हो गए, जबकि अनिल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया तथा घटनास्थल पर फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए।

इस प्रकार दोनों थाना क्षेत्रों में हुई पुलिस मुठभेड़ एवं कार्रवाई में कुल 05 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनमें 03 घायल हुए तथा 02 को मौके से गिरफ्तार किया गया।

3. गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. सुनील पुत्र छोटक, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी जनपद मिर्जापुर। (घायल)
2. रामसागर बांसफोर पुत्र बेचन बांसफोर, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी मध्य प्रदेश। (घायल)
3. रमाशंकर पुत्र कुबेर बेसल, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश। (घायल)
4. अनिल पुत्र छोटक, निवासी तेंदुआ खुर्द, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर, उम्र लगभग 25 वर्ष।
5. निन्ही पुत्र कन्हैया, निवासी डोड़ोपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 48 वर्ष।

4. बरामदगी का विवरण

कुल बरामदगी: कुल लगभग 9.3 किलोग्राम चांदी के आभूषण, अनुमानित कीमत करीब ₹24 लाख।

1. फरिहा स्थित ओम ज्वेलर्स से संबंधित लगभग 6.76 किलोग्राम चांदी के आभूषण।
2. खरिहानी स्थित वैभव ज्वेलर्स से संबंधित लगभग 2.54 किलोग्राम चांदी के आभूषण।
3. 04 अवैध देशी तमंचे .315 बोर, 03 खोखा कारतूस, 03 जिंदा कारतूस एवं 04 मिस कारतूस।
4. चोरी में प्रयुक्त सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली 01 अर्टिगा गाड़ी।
5. शटर एवं ताला तोड़ने में प्रयुक्त लोहे के 02 रम्मा, 01 प्लास, 01 पेचकश एवं 01 सुम्भी।

5. पूछताछ का विवरण

प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा समूह बनाकर ज्वेलरी दुकानों की रेकी करने तथा रात्रि में शटर एवं ताले तोड़कर चोरी करने की बात बताई गई। अभियुक्तों के अनुसार, फरिहा स्थित ओम ज्वेलर्स तथा खरिहानी स्थित वैभव ज्वेलर्स में चोरी की गई थी। अभियुक्तों द्वारा फरिहा से चोरी किए गए कुछ आभूषण बेचकर अर्टिगा गाड़ी खरीदने तथा शेष आभूषणों को बेचने के लिए ले जाने की बात बताई गई। अन्य संलिप्त व्यक्तियों एवं चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में जानकारी जुटाते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

6. अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तों द्वारा समूह बनाकर ज्वेलरी की दुकानों की रेकी की जाती थी। इसके बाद रात्रि में दुकानों के शटर एवं ताले तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए जाते थे। चोरी किए गए आभूषणों में से कुछ बेचकर प्राप्त धनराशि से वाहन खरीदा गया तथा शेष आभूषणों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था।

पंजीकृत अभियोग एवं विधिक कार्यवाही

1. मु0अ0सं0 205/2026, धारा 304, 331(4) बीएनएस, थाना तरवां।
2. मु0अ0सं0 211/2026, धारा 109 बीएनएस एवं 3/5/25 आर्म्स एक्ट, थाना तरवां।
3. मु0अ0सं0 240/2026, धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस, थाना निजामाबाद।

प्रकरणों में बरामदगी एवं अभियुक्तों की संलिप्तता के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

7. आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी, नकबजनी, गृहभेदन, मादक पदार्थ एवं गिरोहबंद गतिविधियों सहित अन्य अपराधों में आजमगढ़, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में मुकदमे पंजीकृत –

आपराधिक इतिहास

सुनील पुत्र छोटक निवासी तेंदुआ खुर्द, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर, उम्र 29 वर्ष।

1. मु0अ0सं0 0928/2015, धारा 380, 411 भा.दं.सं. 1860, थाना कोतवाली कटरा, जनपद मिर्जापुर।
2. मु0अ0सं0 0395/2015, धारा 380, 457 भा.दं.सं. 1860, थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर।
3. मु0अ0सं0 0409/2015, धारा 380, 457 भा.दं.सं. 1860, थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर।
4. मु0अ0सं0 0942/2015, धारा 380 भा.दं.सं. 1860, थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर।
5. मु0अ0सं0 1010/2015, धारा 380, 457 भा.दं.सं. 1860, थाना कोतवाली शहर, जनपद मिर्जापुर।
6. मु0अ0सं0 0179/2026, धारा 305(a), 331(4) BNS, थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर।
7. मु0अ0सं0 0541/2015, धारा 380, 411, 457 भा.दं.सं. 1860, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
8. मु0अ0सं0 0922/2015, धारा 41, 411, 414 भा.दं.सं. 1860, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
9. मु0अ0सं0 0924/2015, धारा 25, 3 आयुध अधिनियम, 1959, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
10. मु0अ0सं0 0629/2016, धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
11. मु0अ0सं0 0468/2025, धारा 115(2), 351(3), 352 BNS, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
12. मु0अ0सं0 0752/2015, धारा 380, 454 भा.दं.सं. 1860, थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर।
13. मु0अ0सं0 0050/2017, धारा 379 भा.दं.सं. 1860, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।
14. मु0अ0सं0 0150/2017, धारा 379 भा.दं.सं. 1860, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।
15. मु0अ0सं0 0151/2017, धारा 379 भा.दं.सं. 1860, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।
16. मु0अ0सं0 0170/2017, धारा 401 भा.दं.सं. 1860, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।
17. मु0अ0सं0 0171/2017, धारा 41, 411, 413, 414 भा.दं.सं. 1860, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।
18. मु0अ0सं0 0291/2017, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।
19. मु0अ0सं0 0012/2018, धारा 401 भा.दं.सं. 1860, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।
20. मु0अ0सं0 0014/2018, धारा 21, 22 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।

2. अनिल पुत्र छोटक निवासी तेंदुआ खुर्द, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर, उम्र 29 वर्ष।

1. मु0अ0सं0 179/2026, धारा 305(a), 331(4) BNS, थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर।
2. मु0अ0सं0 631/2016, धारा 8/20 NDPS Act, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
3. मु0अ0सं0 325/2023, धारा 323, 504, 506 IPC, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
4. मु0अ0सं0 468/2025, धारा 115(2), 351(3), 352 BNS, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर।
5. मु0अ0सं0 157/2017, धारा 380, 380, 411 IPC, थाना जीआरपी मिर्जापुर, जीआरपी अनुभाग प्रयागराज।

03. अभियुक्त रामसागर बसौर पुत्र बेचन बसौर निवासी लामीद, थाना सरई, जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 400/2014, धारा 290/323/506 भादवि, थाना सरई, जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश।
- 2-मु0अ0सं0 09/2019, धारा 34(1) आबकारी अधिनियम, थाना बरगाँव, जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश।
- 3-मु0अ0सं0 481/2016, धारा 457/380 भादवि, थाना बरगाँव, जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश।
- 4- मु0अ0सं0 51/2018, धारा 34/457/380 भादवि, थाना चांदनी, जनपद सूरजपुर, छत्तीसगढ़।

4. निन्हई पुत्र कन्हैया निवासी डोडापुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र 45 वर्ष।

मु0अ0सं0 442/2012, धारा 147, 148, 307, 323, 325, 394, 427, 452, 504, 506 भा.दं.सं., थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

5. अभियुक्त रमाशंकर पुत्र कूबेर बसौर निवासी बरगाँव, थाना बरगाँव, जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 349/2018, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम, थाना बरगाँव, जनपद सिंगरौली, मध्य प्रदेश।

पुलिस टीम

थानाध्यक्ष तरवां राजीव कुमार सिंह एवं थाना प्रभारी निजामाबाद राकेश कुमार सिंह की पुलिस टीमों, संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षकगण एवं हमराह पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए।

आजमगढ़ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।